

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3285
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत
खादी और ग्रामोद्योग

3285. श्री राहुल सिंह लोधी:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री भोजराज नाग:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत वर्ष की तुलना में दिसंबर 2025 तक खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री और उत्पादन के आंकड़ों का उत्पाद-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अंतर्गत कारीगरों के लिए किए गए मजदूरी संशोधन का ब्यौरा क्या है और उक्त संशोधन से कितने कारीगर लाभान्वित हुए हैं; और
- (ग) सरकारी खरीद और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के लिए विशिष्ट तंत्र सहित बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) को क्रियान्वित कर रहा है और केवीआईसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर 2025 तक खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत प्राप्त बिक्री और उत्पादन के आँकड़ों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-1** में है।

(ख): खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा समय-समय पर खादी कारीगरों की मजदूरी में संशोधन किया गया है। विगत तीन संशोधनों का विवरण निम्नानुसार है:

प्रभावी तिथि/वर्ष	कताई मजदूरी में परिवर्तन
01.04.2023	10.00 रुपये प्रति लच्छा
02.10.2024	12.50 रुपये प्रति लच्छा
01.04.2025	15.00 रुपये प्रति लच्छा

बुनाई मजदूरी में भी दिनांक 01.04.2023 से 10%, दिनांक 02.10.2024 से 7% और दिनांक 01.04.2025 से 20% की वृद्धि की गई है।

खादी क्षेत्र से जुड़े लगभग 4.32 लाख कत्तिनों और बुनकरों को उनके द्वारा किए गए कताई और बुनाई कार्यों के आधार पर वेतन वृद्धि से लाभ मिलता है।

(ग): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने सितंबर, 2025 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि दोनों संगठन अर्थात् केवीआईसी और एनएसआईसी निकटतम सहयोग से बेहतर बाजार पहुंच की सुविधा हेतु एक पारितंत्र का सृजन करेंगे, जो एक-दूसरे के प्लेटफार्मों और अन्तःक्षेपों का लाभ उठाकर केवीआईसी और एनएसआईसी की संबंधित स्कीमों के अंतर्गत सभी पात्र एमएसएमई लाभार्थियों/इकाइयों की सहायता करेंगे।

दिनांक 12.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3285 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर 2025 तक खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत प्राप्त बिक्री और उत्पादन आंकड़ों का राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र-वार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक		अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक	
		केवीआई उत्पादन	केवीआई बिक्री	केवीआई उत्पादन	केवीआई बिक्री
1.	जम्मू एवं कश्मीर	357690.43	790251.97	396539.81	903354.94
2.	लद्दाख	10777.81	16348.43	11948.12	18680.49
3.	हिमाचल प्रदेश	130280.56	202535.94	144427.89	231476.27
4.	पंजाब	288214.69	364214.39	319511.10	416248.14
5.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	4131.71	6685.59	4580.40	7647.81
6.	हरियाणा	274733.00	375974.66	306651.32	427806.10
7.	दिल्ली	16721.19	26655.15	18537.13	30917.48
8.	राजस्थान	497493.95	650742.79	551546.24	744989.30
9.	उत्तराखंड	101414.06	173622.41	112130.52	288972.28
10.	उत्तर प्रदेश	1163332.04	1665628.49	1291818.23	1760444.86
11.	छत्तीसगढ़	181069.22	304267.98	200741.88	348156.15
12.	मध्य प्रदेश	464163.36	690086.63	514567.07	788661.11
13.	सिक्किम	6732.35	16425.88	7463.41	18771.11
14.	अरुणाचल प्रदेश	22638.77	33743.24	25097.04	38559.65
15.	नागालैंड	81223.74	118191.71	90043.44	135055.12
16.	मणिपुर	65476.63	97457.35	72576.41	111365.13
17.	मिजोरम	54850.56	90380.58	60806.46	103273.35
18.	त्रिपुरा	56129.94	85841.33	62224.75	98089.08
19.	मेघालय	27059.89	54142.46	29998.24	61868.36
20.	असम	167047.70	289140.40	185188.78	330490.86
21.	बिहार	368801.22	506573.47	408857.66	579414.08
22.	पश्चिम बंगाल	385675.11	524448.87	429657.83	605258.62
23.	झारखंड	118693.48	183575.02	131585.46	210034.12
24.	ओडिशा	271790.77	392380.35	301306.38	448510.27
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	3890.94	9149.69	4313.42	10454.86
26.	गुजरात *	877573.01	1156175.44	972906.34	1324550.09
27.	महाराष्ट्र**	584724.35	763378.18	648217.66	872410.08
28.	गोवा	12268.38	19436.09	13600.54	22215.28
29.	आंध्र प्रदेश	370929.46	533768.25	411216.29	610312.08
30.	तेलंगाना	250417.62	388179.15	277610.49	443627.41
31.	कर्नाटक	515548.38	768990.95	565812.96	904784.26
32.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	367.68	467.83	407.60	534.56
33.	केरल	265164.20	369861.53	293968.96	423600.33
34.	तमिलनाडु	565798.07	806684.76	627284.00	924520.75
35.	पुदुचेरी	4865.73	8178.03	5394.17	9350.63
	योग	8567690.00	12483584.99	9498537.99	14254405.00

*दमण एवं दीव सहित ** दादरा और नगर हवेली सहित